''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2005—कार्तिक 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक फा. 1-1/2003/8240/21-ब/05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा विभाग की, पूर्व अधिसूचना क्र. एफ-1-1/2003/5810/21-ब/04, दिनांक 23 सितम्बर 2004 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रत्येक जिले में नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय दिनांक 26-11-2005 से स्थापित करती है :—

अनुसूची

अनु.	राजस्व जिलों के नाम	स्थान का नाम	न्यायालयों की संख्या	
			प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी	द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	(एक) जगदलपुर	9	2
		(दो) कोण्डागांव	1	-
		(तीन) नारायणपुर	1	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	बिलासपुर	(एक) बिलासपुर	14	4
		(दो) मुंगेली	1	–
		(तीन) पेण्ड्रारोड	2	–
3.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	(एक) दंतेवाड़ा	3	1
		(दो) बीजापुर	1	–
		(तीन) सुकमा	1	–
4.	धमतरी	(एक) धमतरी	4	–
		(दो) कुरुद	1	–
5.	दुर्ग	(एक) दुर्ग	12	2
		(दो) बालौद	3	–
		(तीन) बेमेतरा	3	–
6.	जांजगीर	(एक) जांजगीर	4	–
		(दो) सक्ती	2	–
7.	जशपुर	(एक) जशपुर	3	1
		(दो) पत्थलगांव	1	–
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)	4	1
9.	कोरबा	(एक) कोरबा	3	1
		(दो) कटघोरा	2	–
10.	कोरिया	(एक) बैकुण्ठपुर	3	–
		(दो) मनेन्द्रगढ़	2	–
11.	महासमुन्द	(एक) महासमुन्द	5	–
		(दो) सरायपाली	1	–
12.	रायगढ़	(एक) रायगढ़	6	3
		(दो) धरमजयगढ़	1	–
		(तीन) घरघोड़ा	1	–
		(चार) सारंगढ़	1	–
13.	रायपुर	(एक) रायपुर	18	4
		(दो) बालौदाबाजार	2	–
		(तीन) गरियाबंद	2	–
		(चार) भाटापारा	1	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	राजनांदगांव	(एक) राजनांदगांव	5	2
		(दो) अम्बागढ़ चौकी	1	-
		(तीन) डोंगरगढ़	2	-
		(चार) खैरागढ़	2	-
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	(एक) अंबिकापुर	7	3
		(दो) प्रतापपुर	1	-
		(तीन) रामानुजगंज	1	-
		(चार) सूरजपुर	2	-
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	(एक) कांकेर	3	-
		(दो) भानुप्रतापपुर	1	-

Raipur, the 24th October 2005

NOTIFICATION

No. F 1-1/2003/XXI-B/8240/2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of the previous Department Notification No. F-1-1/2003/5810/XXI-B/04, dated 23rd September, 2004 the State Government after consultation with the High Court, hereby establishes, with effect from the 26-11-2005 the Courts of Judicial Magistrate of First Class and the Second Class in each District, at the places specified against it, in the table below, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Revenue District	Name of Place	Name of Courts of Judicial Magistrate 1st Class	Judicial Magistrate IInd Class
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bastar (Jagdalpur)	(i) Jagdalpur	9	2
		(ii) Kondagaon	1	-
		(iii) Narayanpur	1	-
2.	Bilaspur	(i) Bilaspur	14	4
		(ii) Mungeli	1	-
		(iii) Pendra Road	2	-
3.	Dakshin Bastar Dantewara	(i) Dantewara	3	1
		(ii) Bijapur	1	-
		(iii) Sukma	1	-
4.	Dhamtari	(i) Dhamtari	4	-
		(ii) Kurud	1	-
5.	Durg	(i) Durg	12	2
		(ii) Balod	3	-
		(iii) Bemetara	3	-

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
6.	Janjgir	(i)	Janjgir	4	-
		(ii)	Sakti	2	-
7.	Jashpur	(i)	Jashpur	3	1
		(ii)	Patthalgaon	1	-
8.	Kabeer Dham (Kawardha)	Kabeer Dham (Kawardha)		4	1
9.	Korba	(i)	Korba	3	1
		(ii)	Katghora	2	-
10.	Koriya	(i)	Baikunthpur	3	-
		(ii)	Manendragarh	2	-
11.	Mahasamund	(i)	Mahasamund	5	-
		(ii)	Saraipali	1	-
12.	Raigarh	(i)	Raigarh	6	3
		(ii)	Dharamjaigarh	1	-
		(iii)	Gharghora	1	-
		(iv)	Sarangarh	1	-
13.	Raipur	(i)	Raipur	18	4
		(ii)	Baloda Bazar	2	-
		(iii)	Gariaband	2	-
		(iv)	Bhatapara	1	-
14.	Rajnandgaon	(i)	Rajnandgaon	5	2
		(ii)	Ambagarh Chowki	1	-
		(iii)	Dongargarh	2	-
		(iv)	Khairagarh	2	-
15.	Surguja (Ambikapur)	(i)	Ambikapur	7	3
		(ii)	Pratappur	1	-
		(iii)	Ramanujganj	1	-
		(iv)	Surajpur	2	-
16.	Uttar Bastar (Kanker)	(i)	Kanker	3	-
		(ii)	Bhanupratappur	1	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.